

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

चीन से आने वाले माल की आपूर्ति पर कोरोना वायरस का प्रभाव

*246. श्री एच. वसंतकुमार:

डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरोना वायरस के कारण चीन से कच्चे माल की होने वाली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अनेक भारतीय उद्योगों विशेषकर फार्मा सेक्टर पर इसके पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि इनमें मांग तथा आपूर्ति में व्याप्त होने वाले असंतुलन से सभी उद्योगों में माल के मूल्य में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देशभर में माल की मांग तथा आपूर्ति में व्याप्त अंतर को पाटने तथा इनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“चीन से आने वाले माल की आपूर्ति पर कोरोना वायरस के प्रभाव” पर लोकसभा में दिनांक 11.03.2020 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 246 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण वायरस फैलने पर नियंत्रण लगाने के लिए चीन के कई प्रांतों में लोगों की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। चीन में फैक्टरियों के बंद होने से उन भारतीय उद्योगों जैसे फार्मास्यूटीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, जो चीन से घटकों, मध्यवर्तियों और कच्चे माल का आयात करते हैं।

सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषदों एवं व्यापार निकायों की सेवायें ली हैं और उनकी आपूर्ति श्रृंखला में सम्भावित विघटन का आकलन करने तथा उनका समाधान करने पर उनके साथ काम किया है, जिसमें उन्हें मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध मालसूची को सुरक्षित रखने और परिवहन करने तथा आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों को पता लगाने के लिए विदेश स्थित हमारे मिशनों के साथ सम्पर्क बनाये रखना शामिल है।

फार्मास्यूटीकल विभाग द्वारा एपीआई (सक्रिय फार्मास्यूटीकल संघटक)/केएसएम (प्रमुख आरम्भिक सामग्री) और एपीआई आधारित औषधियों के स्टॉक की उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा करने एवं संकट प्रबंधन के उपयुक्त और यथोचित उपाय सुझाने के लिए भारत के संयुक्त ड्रग महानियंत्रक (डीसीजीआई) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों से कहा गया है कि वे हमारे उत्पादनों के लिए अपने - अपने देशों में कच्चे माल के स्रोत की सम्भावना का पता लगाएं। कई मिशनों ने अपने - अपने देशों में सम्भावित क्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं की सूची निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के साथ साझा की है और उनके लिए बी2बी बैठकों के सुगमीकरण के लिए अपनी सहमति दी है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2795

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

ओडिशा में बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार

2795. कुमारी चन्द्राणी मुर्मू:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे ओडिशा के बंदरगाहों से निर्यात और आयात किया जा रहा है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, जीएसटी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, भुवनेश्वर द्वारा प्रदान कराई गई जानकारी के अनुसार, ओडिशा के बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात और आयात करने वाले देशों की सूची अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

दिनांक 11-03-2020 को उत्तर के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2795 के उत्तर में ओडिशा में बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार के संबंध में उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रम. सं.	उन देशों के नाम जिनसे ओडिशा के बंदरगाहों के माध्यम से आयात किया जाता है
1.	अल्बानिया
2.	अंगोला
3.	ऑस्ट्रेलिया
4.	ऑस्ट्रिया
5.	अजरबैजान
6.	बांग्लादेश
7.	बेलारूस
8.	ब्राज़ील
9.	ब्रुनेई
10.	कैमरून
11.	कनाडा
12.	चीन
13.	कोलम्बिया
14.	कॉंगो
15.	मिस्र
16.	इक्वेटोरियल गिनी
17.	जर्मनी
18.	इंडोनेशिया
19.	ईरान
20.	इराक
21.	इजराइल
22.	इटली
23.	जापान
24.	जॉर्डन
25.	कोरिया गणराज्य
26.	कुवैत
27.	लतीवा
28.	लिथुआनिया
29.	मैडागास्कर

30.	मलेशिया
31.	मेक्सिको
32.	मोरक्को
33.	मोजाम्बिक
34.	नीदरलैंड
35.	न्यूजीलैंड
36.	नाइजीरिया
37.	नॉर्वे
38.	ओमान
39.	फिलीपींस
40.	कतार
41.	रूस
42.	सऊदी अरब
43.	सिंगापुर
44.	दक्षिण अफ्रीका
45.	दक्षिण कोरिया
46.	ताइवान
47.	थाईलैंड
48.	त्रिनिडा एवं तबागो
49.	तुर्की
50.	यू एई
51.	यूक्रेन
52.	संयुक्त अरब अमीरात
53.	यूनाइटेड किंगडम
54.	संयुक्त राज्य अमेरिका
55.	यूएस वर्जिन आयलैंड
56.	वियतनाम का लोकतांत्रिक गणराज्य

क्रमांक	उन देशों के नाम जिनसे ओडिशा के बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात किया जाता है
1.	बहरीन
2.	बांग्लादेश
3.	बेल्जियम
4.	ब्राज़ील
5.	बुल्गारिया
6.	कनाडा
7.	चीन

8.	डेनमार्क
9.	जर्मनी
10.	इंडोनेशिया
11.	इटली
12.	जापान
13.	केन्या
14.	कोरिया गणतंत्र
15.	कुवैत
16.	लक्जमबर्ग
17.	मलेशिया
18.	मैक्सिको
19.	म्यांमार
20.	नीदरलैंड
21.	न्यूजीलैंड
22.	नॉर्वे
23.	ओमान
24.	फिलीपींस
25.	पोलैंड
26.	चीन जनवादी गणराज्य
27.	कतार
28.	रूस
29.	सऊदी अरब
30.	सिंगापुर
31.	दक्षिण अफ्रीका
32.	दक्षिण कोरिया
33.	स्पेन
34.	श्री लंका
35.	स्विट्जरलैंड
36.	ताइवान
37.	थाईलैंड
38.	तुर्की
39.	संयुक्त अरब अमीरात
40.	यूनाइटेड किंगडम
41.	संयुक्त राज्य अमेरिका
42.	वियतनाम का लोकतांत्रिक गणराज्य

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पाद और गन्तव्य विविधीकरण

2800. श्री संजय काका पाटील:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के निर्यात में सुधार करने की दृष्टि से उत्पाद और गन्तव्य के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्यात बढ़ाने की दिशा में एक वैकल्पिक उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) प्रमुख सरकारी निर्यात संवर्द्धन योजनाओं/नीतियों का प्राथमिक फोकस निर्यात उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त इनपुट पर लगाए गए शुल्कों और करों का रिफंड करना, विनिर्दिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करके लागत अक्षमता को कम करना है और व्यापार करने की सुगमता में बहुमुखी सुधार करना है। समग्र जोर सभी गंतव्यों पर सभी उत्पाद समूहों के निर्यात में प्रतिस्पर्धा और वृद्धि को बढ़ाने पर है। परिणामस्वरूप, हमारे निर्यात उत्पादों और गंतव्यों में पर्याप्त रूप से विविधीकरण है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी बड़े और छोटे व्यापारिक देशों सहित 233 देशों/क्षेत्रों को उत्पादों का निर्यात किया गया। इस अवधि के दौरान, हमने सभी 168 प्रमुख वस्तु समूहों में उत्पादों का निर्यात किया।

सरकार निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए समग्र उपाय कर रही है, चाहे वह सस्ते ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करना हो, निर्यातक अनुकूल योजनाओं की शुरुआत करना हो, निर्यात हब के रूप में जिलों को बढ़ावा देना हो, संभार तंत्र में सुधार करना हो और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के उपयोग में सुधार करना हो।

भारत में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु, सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है :

- (i) नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20 का प्रारंभ 1 अप्रैल, 2015 को किया गया था। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व की निर्यात संवर्द्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीम अर्थात् माल के निर्यात में सुधार लाने से लिए भारत से व्यापारिक वस्तुओं के

निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स को पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय बनाया गया।

- (ii) विदेश व्यापार नीति 2015-20 की 5 दिसम्बर, 2017 को की गई मध्यावधि समीक्षा के आधार पर, श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन राशि में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
- (iii) लाजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए वाणिज्य विभाग में एक नए लाजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स कार्यनिष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।
- (iv) पूर्व एवं पश्चिमी पोतलदान रुपये निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिसमें श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 2.1.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेन्ट निर्यातकों को शामिल किया गया।
- (v) व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए आयातक निर्यातकों को (आईईसी) को ऑनलाइन जारी करना प्रारंभ किया गया है। विश्व बैंक में "व्यापार करने की सुगमता" रैंकिंग में भारत का रैंक वर्ष 2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2019 में 63 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से सुधरकर 80 हो गया।
- (vi) देश में निर्यात अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" को प्रारंभ किया गया।
- (vii) दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात नीति" प्रारंभ की गई जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।
- (viii) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामतः "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) प्रारंभ की गई है।

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमरीका द्वारा चीन पर प्रशुल्क लगाना

2807. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अमरीका ने चीनी वस्तुओं पर 550 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का प्रशुल्क लगाया है;
- (ख) यदि हां, तो जनवरी 2018 से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच चीन से अमरीका को होने वाले निर्यात में कमी का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या अमरीका-चीन व्यापार विवाद के समय भारत से अमरीका को निर्यात बढ़ाया जा सकता था;
- (घ) यदि हां, तो जनवरी, 2018 से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच भारत से अमरीका को होने वाले निर्यात की माह-वार और क्षेत्र-वार मात्रा और प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार अमरीका को किए जाने वाले निर्यात में सार्थक वृद्धि करने में विफल रही है;
- (च) यदि हां, तो देश ने कितने आर्थिक मूल्य के निर्यात का अवसर गंवा दिया है;
- (छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ज) क्या सरकार ने इसके जरिए अमरीका के साथ बेहतर व्यापार संबंध बनाने और घरेलू रोजगार सृजित करने का एक अच्छा अवसर गंवा दिया है; और
- (झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो इस हेतु जिम्मेवार अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : प्रशासन ने 1974 के यूएस व्यापार अधिनियम की धारा 301 पर आंशिक रूप से भरोसा करते हुए चीन के माल पर निम्नवत अतिरिक्त प्रशुल्क लगाया है;

- (i) जुलाई, 2018 में, यूएस ने 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार की 818 टैरिफ लाइनों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रशुल्क उद्ग्रहित किया है। इसके अतिरिक्त, 16 बिलियन अमेरिकी

डॉलर के व्यापार मूल्य की 284 टैरिफ लाइन्स पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रशुल्क उद्ग्रहीत किया है, जिसे बढ़ाकर अगस्त, 2018 में 25 प्रतिशत कर दिया गया।

- (ii) सितम्बर, 2018 में, यूएस ने 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार मूल्य की 5743 टैरिफ लाइन्स पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रशुल्क उद्ग्रहीत किया, तत्पश्चात्, मई, 2019 में इस अतिरिक्त प्रशुल्क को बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया।
- (iii) सितम्बर, 2019 में, यूएस ने 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के चीन के आयातों पर अतिरिक्त प्रशुल्क अधिरोपित किया।

(ख) : जनवरी, 2018 से अक्टूबर, 2019 तक चीन से संयुक्त राज्य को माह-वार और क्षेत्र-वार निर्यातों का ब्यौरा अनुबंध-I में संलग्न किया गया है। (स्रोत : ट्रेड मैप)

(ग) से (छ) : डीजीसीआईएस आंकड़ों अनुसार यूएस को भारत के निर्यात ने कैलेंडर वर्ष 2018 की तुलना में कैलेंडर वर्ष 2019 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की है।

जनवरी, 2018 से अक्टूबर, 2019 तक मात्रा तथा प्रतिशतता के रूप में यूएस को भारत के निर्यात का माह-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II पर संलग्न है। (स्रोत : ट्रेड मैप)

(ज) एवं (झ) : भारत का यूएस के साथ काफी सुदृढ़ आर्थिक एवं कार्यनीतिक संबंध है तथा इन संबंधों को द्विपक्षीय सहयोग से निरंतर सुदृढ़ किया जाता है, जिसका उद्देश्य दोनों ओर के व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

अनुबंध-I

चीन का संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात (मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	अध्याय	क्षेत्र	जनवरी 18	फरवरी 18	मार्च 18	अप्रैल 18	मई 18	जून 18	जुलाई 18	अगस्त 18	सितम्बर 18	अक्टूबर 18	नवम्बर 18	दिसम्बर 18
1	1-24	कृषि उत्पाद	725.46	552.26	482.77	634.43	667.80	681.77	749.09	788.72	632.59	657.06	976.31	593.35
2	25-27	खनिज उत्पाद	195.46	124.14	125.88	131.42	149.13	145.86	163.96	149.20	116.55	125.60	137.03	141.20
3	28-38	रसायनिक अथवा संबद्ध उद्योगों के उत्पाद	1351.06	1281.30	1330.50	1426.53	1468.37	1343.13	1297.25	1520.08	1470.47	1322.46	1631.21	1355.55
4	39-40	प्लास्टिक और रबड़ तथा इससे बनी वस्तुएं	1759.87	1479.93	1403.23	1785.32	1941.38	2110.46	1918.75	1939.53	1871.55	1757.10	2254.53	1903.27
5	41-43	पशु के खाल से बनी वस्तु और अन्य उत्पाद (फर तथा उससे बनी वस्तुएं)	559.22	482.16	355.41	556.61	661.60	758.16	661.38	623.50	631.51	596.53	660.35	612.56
6	44-46	लकड़ी एवं लकड़ी की वस्तुएं	412.00	333.28	206.70	332.92	407.42	400.91	374.19	346.92	354.17	343.95	442.91	335.28
	47-49	लकड़ी की अथवा अन्य रेशेदार सल्यूब्लोस सामग्री की लुगदी	342.32	286.31	274.85	350.86	406.54	466.51	443.59	479.46	468.98	415.68	463.15	412.62
7	50-63	वस्त्र और वस्त्र की वस्तुएं	3636.89	3397.96	1923.51	3074.79	3605.06	4547.68	4742.81	5013.11	4801.42	3961.41	3594.13	3592.47
8	64-67	फुटवियर, हेडगियर और मानव बाल तथा उससे निर्मित वस्तुएं	1577.93	1250.82	931.66	1166.83	1294.13	1590.56	1616.07	1569.62	1495.22	1289.45	1353.41	1608.51
9	68-70	पत्थर, प्लास्टर तथा अन्य सिरामिक उत्पाद, शीशे से बनी वस्तुएं	675.53	552.40	477.98	715.37	758.66	899.56	820.30	808.62	727.98	762.93	907.49	713.58
10	71	प्राकृतिक और परिशोधित मोती, बहुमूल्य एवं अर्धबहुमूल्य पत्थर	284.58	202.35	174.56	314.34	310.11	251.55	253.60	312.84	316.95	264.59	261.80	205.00
11	72-83	बेस धातु तथा उससे विनिर्मित वस्तुएं	2135.24	1848.88	1617.40	1968.23	2151.51	2151.53	2064.21	2166.19	2148.09	1931.53	2542.15	2121.57
12	84-93	इंजीनियरिंग उत्पाद	19578.82	16345.91	18335.13	19608.82	20888.29	21671.00	21062.34	22809.56	25527.52	23957.90	25420.07	21981.47
13	94-99	विविध विनिर्मित वस्तुएं	4300.53	3487.70	2950.17	3968.75	4594.40	5379.06	5224.09	5874.88	6200.92	5417.33	5650.76	4754.26
		कुल	37534.91	31625.40	30589.74	36035.20	39304.39	42397.73	41391.64	44402.22	46763.92	42803.51	46295.30	40330.69

स्रोत : ट्रेड मैप

चीन का संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात (मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	अध्याय	क्षेत्र	जनवरी 19	फरवरी 19	मार्च 19	अप्रैल 19	मई 19	जून 19	जुलाई 19	अगस्त 19	सितम्बर 19	अक्टूबर 19
1	1-24	कृषि उत्पाद	569.80	274.87	455.04	505.64	570.60	554.72	551.37	579.05	531.00	522.36
2	25-27	खनिज उत्पाद	60.88	92.02	116.04	112.52	85.44	117.03	99.09	90.68	135.77	103.94
3	28-38	रसायनिक अथवा संबद्ध उद्योगों के उत्पाद	1305.84	973.77	1391.59	1090.45	1343.45	1229.07	1160.30	1155.18	1107.30	1013.38
4	39-40	प्लास्टिक और रबड़ तथा इससे बनी वस्तुएं	1734.91	988.47	1514.17	1587.93	1833.29	1746.77	1835.79	1749.32	1573.18	1565.08
5	41-43	पशु के खाल से बनी वस्तु और अन्य उत्पाद (फर तथा उससे बनी वस्तुएं)	458.38	242.16	335.32	474.05	597.72	542.81	528.27	511.47	456.56	425.64
6	44-46	लकड़ी एवं लकड़ी की वस्तुएं	332.32	168.30	219.98	265.56	319.12	303.44	315.47	269.46	264.08	272.98
	47-49	लकड़ी की अथवा अन्य रेशेदार सल्यूलोस सामग्री की लुगदी	371.17	210.53	330.11	353.96	408.68	422.07	511.57	482.13	397.00	361.60
7	50-63	वस्त्र और वस्त्र की वस्तुएं	4007.24	2254.46	2435.38	2707.93	4021.55	4664.58	4976.83	4608.57	3841.36	3298.29
8	64-67	फुटवियर, हेडगियर और मानव बाल तथा उससे निर्मित वस्तुएं	1666.69	875.40	1119.28	1203.47	1445.89	1595.36	1636.55	1579.91	1282.64	1183.29
9	68-70	पत्थर, प्लास्टर तथा अन्य सिरामिक उत्पाद, शीशे से बनी वस्तुएं	587.61	326.86	471.34	592.58	663.70	681.07	674.15	680.32	573.98	599.33
10	71	प्राकृतिक और परिशोधित मोती, बहुमूल्य एवं अर्धबहुमूल्य पत्थर	240.97	76.10	199.57	220.08	174.69	176.21	180.92	222.80	175.99	148.57
11	72-83	बेस धातु तथा उससे विनिर्मित वस्तुएं	2056.28	1128.96	1704.13	1778.49	2038.65	1887.12	1955.94	1855.66	1684.99	1616.23
12	84-93	इंजीनियरिंग उत्पाद	18797.68	12681.63	17876.42	16492.37	19696.37	20277.00	18711.09	18186.83	19566.32	20402.76
13	94-99	विविध विनिर्मित वस्तुएं	4416.97	2405.10	3700.21	4033.10	4551.45	5132.79	5777.53	5386.83	4940.92	4337.71
		कुल	36606.73	22698.62	31868.58	31418.11	37750.61	39330.02	38914.87	37358.19	36531.07	35851.16

स्रोत : ट्रेड मैप

भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात (मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	अध्याय	क्षेत्र	जनवरी 18	फरवरी 18	मार्च 18	अप्रैल 18	मई 18	जून 18	जुलाई 18	अगस्त 18	सितम्बर 18	अक्टूबर 18	नवम्बर 18	दिसम्बर 18
1	1-24	कृषि उत्पाद	318.20	330.15	384.22	331.69	386.02	402.11	413.32	442.00	422.87	405.60	392.60	377.57
2	25-27	खनिज उत्पाद	317.05	315.03	316.17	207.20	464.07	264.64	322.62	119.42	165.91	278.73	103.69	315.74
3	28-38	रसायनिक अथवा संबद्ध उद्योगों के उत्पाद	629.81	642.09	750.56	681.63	651.36	666.24	665.08	784.53	729.52	694.92	711.00	781.06
4	39-40	प्लास्टिक और रबड़ तथा इससे बनी वस्तुएं	95.18	92.37	106.53	93.29	98.98	106.49	96.12	125.43	121.75	111.69	108.90	121.46
5	41-43	पशु के खाल से बनी वस्तु और अन्य उत्पाद (फर तथा उससे बनी वस्तुएं)	38.96	39.99	45.72	40.48	44.28	48.57	50.74	55.43	56.00	52.18	44.55	49.23
6	44-46	लकड़ी एवं लकड़ी की वस्तुएं	13.75	12.08	12.37	11.00	13.20	14.73	14.08	17.11	16.36	13.85	11.82	14.30
7	47-49	लकड़ी की अथवा अन्य रेशेदार सल्यूलोस सामग्री की लुगदी	10.81	10.55	15.09	16.27	22.94	21.61	17.39	17.39	16.56	15.70	14.60	15.36
8	50-63	वस्त्र और वस्त्र की वस्तुएं	675.21	652.72	735.23	644.24	675.66	685.37	665.24	708.65	690.80	645.98	601.99	723.86
9	64-67	फुटवियर, हेडगियर और मानव बाल तथा उससे निर्मित वस्तुएं	33.70	33.61	39.78	30.75	31.01	40.35	42.47	41.41	39.98	34.24	30.92	36.13
10	68-70	पत्थर, प्लास्टर तथा अन्य सिरामिक उत्पाद, शीशे से बनी वस्तुएं	45.33	45.40	55.05	49.91	57.83	64.04	63.10	68.68	65.59	60.37	59.73	68.28
11	71	प्राकृतिक और परिशोधित मोती, बहुमूल्य एवं अर्धबहुमूल्य पत्थर	867.17	787.32	897.97	914.62	1077.42	725.37	828.65	1037.14	924.94	1141.96	657.55	623.21
12	72-83	बेस धातु तथा उससे विनिर्मित वस्तुएं	244.17	233.95	328.87	222.19	223.78	265.14	246.40	281.43	264.51	258.93	253.06	288.86
13	84-93	इंजीनियरिंग उत्पाद	649.87	647.72	821.58	798.67	755.47	753.93	790.09	874.58	897.58	778.93	801.85	878.93
14	94-99	विविध विनिर्मित वस्तुएं	65.47	74.57	71.51	70.13	77.82	78.40	80.28	105.40	85.74	75.37	66.57	76.31
		कुल	4004.67	3917.56	4580.64	4112.06	4579.85	4136.96	4295.56	4678.61	4498.10	4568.44	3858.81	4370.28

स्रोत : ट्रेड मैप

भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात (मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	अध्याय	क्षेत्र	जनवरी 19	फरवरी 19	मार्च 19	अप्रैल 19	मई 19	जून 19	जुलाई 19	अगस्त 19	सितम्बर 19	अक्टूबर 19	अमरीका को भारत का निर्यात (जनवरी 2018- अक्टूबर 2019)	भारत का कुल निर्यात (जनवरी 2018 – अक्टूबर 2019)	अमरीका के साथ भारत का व्यापार (प्रतिशत)
1	1-24	कृषि उत्पाद	336.99	342.40	387.97	316.14	382.29	402.04	469.40	459.87	428.90	412.29	8544.63	64874.06	13%
2	25-27	खनिज उत्पाद	244.92	122.34	233.38	284.98	337.73	211.16	363.88	153.73	164.83	171.56	5478.75	92688.99	6%
3	28-38	रसायनिक अथवा संबद्ध उद्योगों के उत्पाद	787.78	840.63	946.48	776.00	828.22	850.19	833.37	813.54	852.48	782.62	16699.09	84677.67	20%
4	39-40	प्लास्टिक और रबड़ तथा इससे बनी वस्तुएं	117.57	109.92	129.12	112.53	157.15	119.62	118.08	122.93	116.61	123.51	2505.23	19892.03	13%
5	41-43	पशु के खाल से बनी वस्तु और अन्य उत्पाद (फर तथा उससे बनी वस्तुएं)	50.54	47.81	47.28	39.05	51.82	48.39	60.33	60.12	55.08	55.02	1081.54	5862.29	18%
6	44-46	लकड़ी एवं लकड़ी की वस्तुएं	16.84	13.28	14.85	13.41	17.38	13.35	15.93	15.86	13.57	16.03	315.14	915.48	34%
7	47-49	लकड़ी की अथवा अन्य रेशेदार सन्यूलोस सामग्री की लुगदी	16.97	15.88	22.56	21.90	29.95	22.16	21.49	23.07	20.79	22.98	412.03	4279.76	10%
8	50-63	वस्त्र और वस्त्र की वस्तुएं	751.90	704.39	818.13	663.78	727.53	684.11	705.57	695.43	651.98	663.53	15171.30	66916.83	23%
9	64-67	फुटवियर, हेडगियर और मानव बाल तथा उससे निर्मित वस्तुएं	35.85	34.27	44.90	32.31	37.87	37.83	44.01	40.18	36.85	34.14	812.55	5751.50	14%
10	68-70	पत्थर, प्लास्टर तथा अन्य सिरामिक उत्पाद, शीशे से बनी वस्तुएं	68.26	72.04	86.02	73.53	90.20	91.07	92.70	92.79	75.62	72.38	1517.92	7649.65	20%
11	71	प्राकृतिक और परिशोधित मोती, बहुमूल्य एवं अर्धबहुमूल्य पत्थर	844.28	733.33	872.09	739.78	1062.19	608.61	683.24	842.06	801.35	1116.88	18787.14	73879.33	25%
12	72-83	बेस धातु तथा उससे विनिर्मित वस्तुएं	280.58	276.81	300.31	242.04	257.95	272.14	247.21	254.10	265.31	218.37	5726.11	48545.65	12%
13	84-93	इंजीनियरिंग उत्पाद	840.56	801.74	957.55	749.35	891.67	847.79	781.12	842.46	838.68	841.34	17841.45	114451.36	16%
14	94-99	विविध विनिर्मित वस्तुएं	79.46	69.67	79.14	72.03	98.75	81.93	89.66	103.22	89.87	94.58	1785.86	5638.66	32%
		कुल	4472.49	4184.52	4939.78	4136.83	4970.69	4290.39	4525.99	4519.36	4411.92	4625.23	96678.73	596023.26	16%

स्रोत : ट्रेड मैप

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाद्य पदार्थों का आयात

2810. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान चीनी, चावल व प्याज जैसे खाद्य उत्पादों और अन्य सामानों के आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त खाद्य पदार्थों के आयात पर भारतीय मुद्रा रुपये में कितनी राशि व्यय हुई है;

(ग) क्या देश में घरेलू उत्पादन के माध्यम से उक्त पदार्थों की मांग पूरी करने के बजाय आयात पर अत्यधिक व्यय किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020) के दौरान आयातित चीनी, चावल और प्याज सहित खाद्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। आयात कुछ खाद्य वस्तुओं के लिए घरेलू उत्पादन और आपूर्ति तथा उपभोक्ता की मांग और अधिमानता के बीच अंतर को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(ङ): खाद्य उत्पादों के आयात को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। क्षेत्र का विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि, मृदा उर्वरता और उत्पादकता की पुनर्प्राप्ति करना, फसल प्रणाली में सुधार, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का वितरण, कृषि यंत्रों/स्रोतों का इष्टतम उपयोग, जल अनुप्रयोग उपकरणों, पौधों की सुरक्षा के उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधार, कृषकों के लिए फसल प्रणाली पर आधारित प्रशिक्षण आदि के माध्यम से चावल, गेहूँ और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) शुरू किया गया। इसके अलावा, गन्ने के साथ दालों की अंतर-फसलीकरण, चावल के लिए परती क्षेत्र को लक्षित करने संबंधी कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रम और देश के कम उत्पादकता वाले जिलों में दालों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम इन फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल राज्यों में वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यान्वित किए जा रहे हैं। सरकार प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) भी लागू कर रही है जिसके अंतर्गत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और खाद्य उत्पादों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/परियोजनाओं/इकाइयों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक

11 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2810 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल 2019 से जनवरी, 2020) के लिए प्रधान वस्तु समूहों के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं का आयात

(मात्रा टन में और मूल्य करोड़ रुपये में)									
क्र.सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (अप्रैल-जनवरी)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	ताजा फल	1057517	11290.62	994686	12524.55	1124178	13931.65	800012	11700.51
2	दालें	6609475	28523.18	5607527	18748.57	2527876	8035.30	2628144	8984.80
3	काजू	774504	9027.09	654019	9134.33	839634	11162.32	825479	7668.89
4	विविध प्रसंस्कृत मर्दे #		2115.82		2249.73		2560.20		2209.55
5	चीनी	2146157	6868.61	2402984	6035.84	1490599	3175.39	958569	2106.87
6	कोको उत्पाद	63612	1542.28	71258	1473.10	87595	1845.89	75186	1595.00
7	समुद्री उत्पाद	52015	633.39	44713	793.30	56933	1088.13	56069	1061.27
8	अनाज निर्मितियां	66470	579.03	71096	659.68	90576	971.36	82001	859.32
9	अन्य अनाज	311368	493.18	265129	433.90	244321	471.28	478588	841.18
10	कॉफी	78041	926.81	77217	996.50	82772	958.59	76657	837.94
11	प्रसंस्कृत फल और जूस	42993	548.10	53585	803.81	59124	909.34	46329	669.22
12	ताजी सब्जियां	8551	11.12	15650	25.64	14752	24.22	140615	546.68
13	प्याज़	175	2.18	6723	14.37	7326	12.02	132106	526.30
14	चाय	24893	338.35	24939	356.99	28851	417.96	20268	383.76
15	डेयरी उत्पाद	16906	254.84	23394	312.59	13643	254.12	15907	285.17
16	प्रसंस्कृत सब्जियां	13323	115.26	15335	134.83	18098	161.83	30791	231.12
17	चावल (बासमती के अलावा)	1142	7.25	2123	12.18	6871	32.14	5023	75.07
18	पोल्ट्री उत्पाद #		29.46		26.87		41.80		37.77
19	अन्य मांस	594	19.03	783	27.80	876	30.65	824	28.04
20	चक्की उत्पाद	3556	16.22	3276	13.02	4185	15.60	3630	13.57
21	भेड़/बकरे का मांस	124	8.50	215	13.36	120	10.83	162	13.21
22	गेहूं	5749430	8509.05	1649725	2357.84	2747	5.44	1665	4.14
23	प्रसंस्कृत मांस	132	4.47	96	3.22	120	4.14	106	3.88

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस। * अंतिम # माप की अलग-अलग इकाइयां होने के कारण मात्रा उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

तेलंगाना में एसईजेड की स्थापना

2813. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना के एनएच-44 (नागपुर-हैदराबाद-बंगलुरु), एन.एच.-167 (हगारी-रायचूर- महबूबनगर-जडचेरला रोड-मिरयालगुडा-कोदाद) और एनएच-765, एनएच-565, एनएच-365, एनएच-161, एनएच-163, एनएच-30 तथा एनएच-61 आदि जौसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष आर्थिक जोनों/औद्योगिक गलियारों की स्थापना की संभावना की तलाश की है;

(ख) क्या सरकार भारत को एक विनिर्माण और निर्यात केन्द्र बनाने हेतु प्रतिबद्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य में विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की प्रस्तावित स्थापना हेतु किसी पैनल/एजेंसी की नियुक्ति की है;

(घ) क्या तेलंगाना राज्य में नए एसईजेड की स्थापना हेतु अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आवंटित/मंजूर निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय सरकार द्वारा तेलंगाना में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्यतः निजी निवेश संचालित हैं जिनकी स्थापना केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों अथवा किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग की जा सकती है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद-नागपुर और हैदराबाद-वारंगल औद्योगिक कॉरीडोर की स्थापना करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिस पर राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2017 को

आयोजित बैठक में विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी निश्चय किया गया कि तेलंगाना सरकार परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कर सकती है तथा व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करने तथा परियोजना के लिए क्षेत्र में उपलब्ध भूखंडों की पहचान करने के पश्चात् इस मामले को पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है। तेलंगाना सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर भारत सरकार/ एनआईसीडीआईटी द्वारा विचार किया जाएगा।

(ख) : भारत सरकार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को प्लाट स्तर पर संपूर्ण प्लग एंड प्ले अवसंरचना प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर कार्यक्रम के भाग के रूप में विभिन्न औद्योगिक कॉरीडोरों का विकास कर रही है। यह भारत के विनिर्माण एवं निर्यातकर्ता हब बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के कार्यक्रमों में से एक है।

(ग) से (ड.) : एसईजेड मुख्यतः निजी निवेश संचालित पहले हैं। एसईजेड की स्थापना करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा किसी निधि की मंजूरी नहीं दी जाती है। तथापि, एसईजेड की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित अंतराल में निवेशकों की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

एमईआईएस के लाभ

2853. श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटील:

डॉ. अमोल राम सिंह कोल्हे:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बने बनाए परिधानों के निर्यात पर से 4 प्रतिशत एमईआईएस (मेर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम) लाभ को मार्च, 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त कर दिया है तथा जुलाई, 2020 तक प्रदान किया गया प्रोत्साहन भी वसूल लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस पहल से पूंजी समाप्त हो गई है और 50 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी लघु वस्त्र उद्यम बंद होने को मजबूर है जिससे बहुत लोग बेरोजगार हागे;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने आरओएससीटीएल (रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवीज) निर्यात के अंतर्गत करों की प्रतिपूर्ति करने वाली योजना का कार्यान्वयन नहीं किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 14.01.2020 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया है कि अध्याय 61, 62 और 63 के अंतर्गत मदों हेतु भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) के तहत दिए जाने वाले लाभ दिनांक 07.03.2019 से समाप्त हो गए हैं। इन अध्यायों के अंतर्गत मदें रेडीमेड वस्त्र और निर्मितियां हैं। उपर्युक्त अधिसूचना को प्रभावी करने के लिए दिनांक 29.01.2020

को एक सार्वजनिक सूचना सं. 58 जारी की गई जिसमें अधिसूचित किया गया है कि वस्त्र और निर्मितियों (अध्याय 61, 62 और 63) से संबंधित दिनांक 07.03.2019 से 31.12.2019 की अवधि के बीच क निर्यात की तिथि वाले निर्यात हेतु एमईआईएस के अंतर्गत निर्यातकों को भुगतान किए गए अतिरिक्त/अनुचित दावों को राज्य और केन्द्रीय कर और लेवी की छूट संबंधी स्कीम (आरओएससीटीएल) के अनुसार उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा और जहां कहीं भी उचित होगा, वसूलियां की जाएगी।

- (ग) और (घ): दिनांक 14.01.2020 को सरकार ने दिनांक 07.03.2019 से 31.12.2019 तक किए गए रेडीमेड परिधानों और निर्मितियों के निर्यात हेतु आरओएससीटीएल और राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल) जोड़ एमईआईएस के अंतर को पाटने के लिए सरकार ने एक विशेष एककालिक अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन देना अधिसूचित किया है।
- (ड.) आरओएससीटीएल स्कीम जो दिनांक 07.03.2019 को अधिसूचित की गई थी और अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन जो दिनांक 14.01.2020 को अधिसूचित किया गया था, को चालू कर दिया गया है।

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

केरल में काजू बोर्ड

2894. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का केरल में काजू बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने काजू बोर्ड की स्थापना के लिए केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने वर्तमान बजट में काजू क्षेत्र के विकास के लिए कोई राशि मंजूर की है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान उक्त क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्तमान में, केरल में काजू बोर्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काजू गिरी एवं कोकोआ विकास निदेशालय को काजू क्षेत्र के समग्र विकास का कार्य सौंपा गया है, जबकि वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद काजू क्षेत्र से निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। इस कारण, काजू बोर्ड की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) एवं (घ) : वर्तमान में केरल राज्य सरकार से काजू बोर्ड के सृजन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड.) एवं (च) काजू गिरी एवं कोकोआ विकास निदेशालय (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत) किए गए बजट आबंटन का विवरण निम्नलिखित हैं :

लाख रुपये में

वर्ष	काजू गिरी एवं कोकोआ विकास निदेशालय
2014-15	1959.81
2015-16	1517.71
2016-17	1006.45
2017-18	1058.94
2018-19	325.13
2019-20	458.66

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग ने 2014-15 से 2019-20 तक निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) को 2110 लाख रुपये का आबंटन किया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) एवं समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत 2017 से 2022 तक काजू के तहत क्षेत्र का 1.20 लाख हेक्टेयर तक विस्तार करने के एक कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। वाणिज्य विभाग की विभिन्न स्कीमों अर्थात् बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) आदि के तहत भी काजू निर्यातकों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

यूएसए के साथ व्यापार समझौता

2898. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो ऐसे व्यापार समझौते का ब्यौरा क्या है और समझौते के प्रमुख लाभ क्या हैं;
- (ग) क्या इन व्यापार समझौतों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : यूएसए के राष्ट्रपति की हाल की यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ किसी मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

(ख), (ग) और (घ) : उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत से चावल का निर्यात

2966. श्री अजय निषाद:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व में चावल निर्यातक देशों की सूची में भारत का कौन-सा स्थान है;

(ख) क्या सरकार ने चावल के निर्यात में वृद्धि करने हेतु कोई नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय किन देशों को चावल का निर्यात किया जाता है और भारत किन देशों से चावल का आयात करता है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : यूएन कॉमट्रेड द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 के निर्यात के आधार पर भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक था। (स्रोत: आईटीसी ट्रेड मैप)

(ख) एवं (ग) : कृषि वस्तुओं यथा चावल के निर्यात का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के पास चावल सहित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीईडीए, “अपनी स्कीम” एपीडा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन स्कीम” के विभिन्न घटकों अर्थात् अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास तथा बाजार विकास के अंतर्गत चावल सहित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। वाणिज्य विभाग की विभिन्न अन्य स्कीमों यथा निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम आदि के अंतर्गत भी निर्यातकों/राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) : वर्ष 2018-19 के दौरान बासमती तथा गैर-बासमती दोनों तरह के चावलों का भारत से निर्यात का देश-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर है। भारत में चावल का आयात नगण्य है। देश-वार ब्यौरा अनुबंध-II पर है।

भारत से चावल का निर्यात		
भारत से बासमती चावल का निर्यात		
	मात्रा एमटी में; मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में	
	2018-19	
देश	मात्रा	मूल्य
ईरान	1483697	1556.17
साउदी अरब	867741	938.91
ईराक	385732	399.43
कुवैत	154745	177.11
यमन गणराज्य	201926	209.95
संयुक्त अरब अमीरात	282375	297.62
यूएसए	135605	168.74
यूके	111924	106.08
ओमान	87832	96.61
जोर्डन	49171	52.57
कतर	73569	76.08
कनाडा	44806	53.46
आस्ट्रेलिया	37337	46.67
नीदरलैंड	39221	38.97
इजरायल	40455	46.11
अन्य	418476	447.97
कुल	4414612	4712.44

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

भारत से गैर-बासमती चावल का निर्यात		
	मात्रा एमटी में; मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में	
	2018-19	
देश	मात्रा	मूल्य
नेपाल	768969	281.15
बेनिन	699005	264.16
सोमालिया	326919	120.89
संयुक्त अरब अमीरात	291579	147.69
कोट डि'आईवार	438089	163.17
गिनी	467693	175.93
टोगो	252378	93.18
जिबूती	267183	90.70
लाइबेरिया	301112	116.97
साऊथ अफ्रीका	149881	54.35
साउदी अरब	184804	98.29
ईराक	61237	36.53
कतर	101718	53.25
सिंगापुर	66163	32.86
मिश्र अरब गणराज्य	129926	47.33
अन्य	3141342	1261.72
कुल	7647998	3038.16

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

भारत में चावल का आयात

मात्रा एमटी में; मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में

देश	2018-19	
	मात्रा	मूल्य
रूस	125	0.06
थाईलैंड	685	0.83
अनिर्दिष्ट	386	0.15
स्पेन	576	0.49
यूएसए	430	0.47
साऊदी अरब	168	0.11
इटली	220	0.22
बेलजियम	0	0.00
ओमान	0	0.00
आस्ट्रेलिया	0	0.00
संयुक्त अरब अमीरात	67	0.06
लेबनॉन	0	0.00
पुर्तगाल	0	0.00
कोरिया गणराज्य	10	0.02
जापान	0	0.00
मिश्र अरब गणराज्य	0	0.00
सिंगापुर	20	0.03
बहरीन द्वीपसमूह	61	0.03
फिलिपींस	0	0.00
ब्राजील	0	0.00
वियतनाम समाजवादी गणराज्य	63	0.08
चीन जनवादी गणराज्य	0	0.00
ऑस्ट्रिया	23	0.02
कनाडा	0	0.00
जॉर्जिया	90	0.04
मलेशिया	154	0.08
मालदीव	10	0.01
नेपाल	32	0.10
कतर	173	0.09
श्रीलंका डीएसआर	234	0.08
सूडान	3316	1.57
यूक्रेन	26	0.01
कुल	6869	4.56

स्रोत: डीजीसीआई एवं एस

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता

2978. श्री मनीश तिवारी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के बीच एक व्यापार समझौता होने वाला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह व्यापार समझौता कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए हानिकारक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यापार समझौते से भारत को होने वाले लाभों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या व्यापार समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका, जिस देश के साथ भारत का पहले से ही व्यापार अधिशेष है, के साथ निर्यात को बढ़ाएगा?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : व्यापार संबंधी विषय चल रहे आर्थिक संबंध का एक भाग होते हैं तथा उन पर भारत एवं अमेरिका के बीच नियमित द्विपक्षीय वार्ता के एक भाग के रूप में निरंतर चर्चा की जाती रहेगी एवं समाधान किया जाता रहेगा।

अपने घरेलू एवं व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार संबंधी किसी भी विषय से निपटने में भारत का मन-मस्तिष्क खुला रहता है। सभी स्टैकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद व्यापक जनहित में निर्णय लिये जाते हैं।
